

इसे वेबसाइट www.govtressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 437]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 4 अगस्त 2018—श्रावण 13, शक 1940

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2018

क्र. एफ-1-10-2018-छब्बीस-1.—राज्य शासन एतद्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रावधान अंतर्गत मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2017 के नियम 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 (1) के अंतर्गत आयुक्त, निःशक्तजन के चयन हेतु सर्व कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2018 में की गई अनुशासा अनुसार श्री संदीप रजक, हीराकुंज 109-सी, विजय नगर, जबलपुर, मध्यप्रदेश को 03 वर्ष (तीन वर्ष) के लिये आयुक्त, निःशक्तजन के रूप में नियुक्त करता है।

2. आयुक्त, निःशक्तजन का दर्जा राज्य शासन के सचिव के समकक्ष रहेगा।
3. आयुक्त, निःशक्तजन को वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें उक्त अधिनियम के नियम 49 अनुसार देय होंगे।
4. राज्य सरकार आयुक्त, निःशक्तजन पद की पदावधि समाप्ति होने के पूर्व पद से हटाये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से लक्षा अमरदेवसनुसार,
अलका श्रीवास्तव, अपर सचिव।